

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य शासनादेश पृष्ठांकन-100/2015 /2019-20 // 2193 // वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश  
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)  
लखनऊ:: दिनांक :: 08 अगस्त, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया शासन के पत्र सं0-789/11-3-2019-29/19 दिनांक 31-07-2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाणिज्य कर व मनोरंजन कर विभाग के कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन व अन्य भत्ते/देयको का भुगतान किये जाने की व्यवस्था अनुदान सं0-89 में की गयी है।

कृपया शासन के पत्र दिनांक 31-07-2019 में दिये गये निर्देशानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

*mrae*  
08/8/19  
(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद / लखनऊ / इलाहाबाद।
- 2- अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
- 5- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
- 6- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने एवं विभागीय बेवसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7- डिप्टी कमिश्नर (मनोरंजन कर), जवाहर भवन, लखनऊ।

*mrae*

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

*mrae*

*mrae*

प्रेषक,

**नीरजा कुरील,**  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

**कमिश्नर,**  
वाणिज्य कर,  
उ०प्र० लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2019

विषय:- मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का संविलियन वाणिज्य कर विभाग में होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान संख्या-89 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स्था०-2 मनो०कर०वि० के कार्मिकों के चि०प्र०पू० प्रकरण/2019-20/126/वाणिज्य कर, दिनांक 13-05-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनोरंजन कर विभाग का संविलियन वाणिज्य कर विभाग में होने के पूर्व मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, चिकित्सा एवं अन्य भत्तों को दिये जाने हेतु अनुदान संख्या-90 में व्यवस्था की जाती थी। मनोरंजन कर विभाग का वाणिज्य कर विभाग में संविलियन किये जाने के पश्चात् अनुदान संख्या-90 समाप्त कर दिया गया है और वाणिज्य कर व मनोरंजन कर विभाग के कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन व अन्य भत्ते/देयकों का भुगतान किये जाने की व्यवस्था अनुदान संख्या-89 में की गई है। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Add. Com. (प्रशा०)/  
JC (स्था०)


★

Commissioner

31.07.2019


1770

भवदीया,



(नीरजा कुरील)

संयुक्त सचिव।

DC/6 

1770

1770 (AD)  
01-879

1770